

न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्र.क्रमांक-508 / 2017

संस्थित दिनांक-27.10.2017

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,  
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियोजन

// विरुद्ध //

गणेश उर्फ गन्नू पिता फागुलाल, उम्र-25 वर्ष, जाति मरार,  
 निवासी-ग्राम पोंगार, थाना बैहर,  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक-24.01.2018 को घोषित)

1- अभियुक्त पर आयुध अधिनियम की धारा-25(1-बी) बी सहपठित धारा-4 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक-16.10.2017 को समय 12:20 बजे, थाना बैहर अंतर्गत चैनू मरठे के मकान के सामने ग्राम पोंगार में जो कि एक सार्वजनिक स्थान हैं, में अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक-6312-6552-II-बी (I) दिनांकित-22.11.1974 के उल्लंघन में निषेधित आकार प्रकार की 6 इंच से अधिक लंबे फल का लोहे का धारदार चाकू(कत्ता) बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि जब दिनांक-16.10.17 को राज कुमार सिंह पुलिस थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को वह हमराह आरक्षक क्र-1049 तथा आरक्षक 1051 राजबीर के साथ रवाना हुये थे, तब उन्हें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ग्राम पोंगार में चैनू मरठे के घर के सामने गणेश उर्फ गन्नू मरठे अपने हाथ में लोहे का चाकू उसकी पत्नी गोमतीबाई को दिखाकर कह रहा था कि उसके खिलाफ रिपोर्ट क्यों की है एवं मारने-पीटने का प्रयास कर रहा था तथा मोहल्ले के लोगों को एवं आने-जाने वाले लोगों को चमका रहा था तथा मरने-मारने की बात कर रहा था, जिससे लोगों में भय व्याप्त था। उक्त सूचना पर वह हमराह स्टाफ तथा स्वतंत्र गवाह फादूलाल, जितेन्द्र के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे, जहां पर अभियुक्त

हाथ में लोहे का एक चाकू रखे मिला था, जो लोगों को भयभीत कर रहा था। अभियुक्त को समझाने पर वह चिल्लाकर लोहे का चाकू दिखाकर खुद को मारने की बात कहकर भयभीत कर रहा था। अभियुक्त से लोहे का चाकू रखने के संबंध में लायसेंस होने के संबंध में पूछा गया था तो अभियुक्त ने उसके पास लायसेंस नहीं होना बताया था, तब गवाहों के समक्ष अभियुक्त से एक लोहे का चाकू जप्त किया था एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस थाना बैहर में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक-178/2017 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया।

3- अभियुक्त पर निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धारा का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया था, तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

4- अभियुक्त का धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष है, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैं:-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक-16.10.2017 को समय 12:20 बजे, थाना बैहर अंतर्गत चैनू मरठे के मकान के सामने ग्राम पोंगार में जो कि एक सार्वजनिक स्थान हैं, में अपने आधिपत्य में म.प्र. राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक-6312-6552-II-बी (I) दिनांकित-22.11.1974 के उल्लंघन में निषेधित आकार प्रकार की 6 इंच से अधिक लंबे फल का लोहे का धारदार चाकू(कत्ता) बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा था ?

#### विवेचना एवं निष्कर्ष :-

6- जप्तीकर्ता अधिकारी आर.के.सिंह ठाकुर अ.सा.4 का कथन है कि दिनांक-16.10.17 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम पोंगार में अभियुक्त गणेश उर्फ गन्नू चैनू मरठे के मकान के सामने हाथ में रखा लोहे का चाकू उसकी पत्नी गोमतीबाई को दिखाकर मारपीट कर बोल रहा था कि उसने

अभियुक्त के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट क्यों की थी। घटना के समय मोहल्ले के लोग आए थे। उन्हें तथा आने-जाने वाले व्यक्तियों को अभियुक्त चाकू दिखाकर डरा-धमका रहा था, मरने-मारने की बात कर रहा था। मुखबिर से सूचना मिलने की बाद साक्षी मौके पर पहुंचा था। अभियुक्त साक्षी के समझाने पर भी नहीं मान रहा था, तब गवाह भादूलाल कंगाले, जितेन्द्र मोहने के समक्ष दिनांक-16.10.17 को प्रदर्श पी-1 के जप्तीपत्रक द्वारा एक लोहे का चाकू जप्त किया था। गवाह भादूलाल एवं जितेन्द्र के समक्ष अभियुक्त को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-2 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था। भादूलाल की निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-3 बनाया था। साक्षी गोमतीबाई, भादूलाल, जितेन्द्र के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे। घटनास्थल से थाने पर आकर प्रदर्श पी-4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी एवं अभियुक्त से जप्त चाकू का मानचित्र प्रदर्श पी-5 बनाया था। अभियुक्त से जप्त चाकू की लंबाई-चौड़ाई का उल्लेख जप्तीपत्रक में है। अभियुक्त से जप्त चाकू आर्टिकल ए-1 है।

7- घटना के अन्य साक्षी जितेन्द्र मोहने अ.सा.1 का कथन है कि घटना दो-ढाई माह पूर्व की ग्राम पोंगार की 7:30 बजे की है। अभियुक्त की पत्नी गर्भवती थी, तब अभियुक्त उसकी पत्नी को शराब पीकर रात में मार रहा था। सुबह अभियुक्त की पत्नी मायके चली गई थी। घटना के दिन 100 नंबर वाहन से पुलिसवाले आए थे, उन्होंने अभियुक्त को गांव से पकड़ा था और थाने ले गए थे। साक्षी ने अभियुक्त के पास लोहे का चाकू देखा था। पुलिसवाले आर.के. सिंह ठाकुर एवं मुंशी थैले में चाकू रखकर अभियुक्त को थाने लेकर आए थे। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 पर साक्षी के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त को साक्षी के सामने प्रदर्श पी-2 के गिरफ्तारी पंचनामा द्वारा गिरफ्तार किया गया था, परंतु उक्त गिरफ्तारी पंचनामा पुलिसवालों ने थाने पर बनाया होगा। पुलिस ने साक्षी के कथन लिये थे।

8- भादुलाल कंगाले अ.सा.3 का कथन है कि अभियुक्त उसका दामाद है। घटना 15-20 दिन पूर्व की ग्राम पोंगार की है। अभियुक्त ने साक्षी की पुत्री गोमतीबाई के साथ मारपीट की थी। साक्षी इस कारण ग्राम पोंगार गया था। साक्षी ने अभियुक्त को समझाया था तो अभियुक्त नहीं माना था। अभियुक्त चाकू लेकर साक्षी की पुत्री के साथ मारपीट करने का प्रयास कर रहा था। अभियुक्त उक्त साक्षी को चाकू लेकर मारने दौड़ा था, तब साक्षी ने बैहर पुलिसवालों को

फोन लगाया था। पुलिसवालों के सामने अभियुक्त कह रहा था कि मारडालेगा, काट डालेगा, तब पुलिसवाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लेकर गए थे। साक्षी एवं जितेन्द्र के समक्ष पुलिस ने अभियुक्त के घर से चाकू जप्त किया था। प्रदर्श पी-1 के जप्तीपंचनामा पर साक्षी का निशानी अंगूठा है। प्रदर्श पी-2 का गिरफ्तारी पंचनामा पुलिस ने थाने पर बनाया था, वहीं साक्षी ने गिरफ्तारी पंचनामे पर अंगूठा निशानी लगाया था। साक्षी की निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी-3 बनाया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि साक्षी के समक्ष पुलिस ने कोई हथियार एवं सामग्री जप्त नहीं की थी।

9— गोमतीबाई अ.सा.2 का कहना है कि अभियुक्त उसका पति है। घटना एक माह पूर्व की ग्राम पोंगार की है। अभियुक्त साक्षी से बोल रहा था कि काट डालेगा, मार डालेगा। अभियुक्त के पास चाकू था। साक्षी ने अभियुक्त से चाकू छुड़ाने की कोशिश की थी, तब अभियुक्त ने साक्षी के गले पर चाकू लगा दिया था। साक्षी को अभियुक्त ने कुल्हाड़ी के बेसे से मारा था। साक्षी ने अभियुक्त से कुल्हाड़ी का बेसा छुड़ाने की कोशिश की थी, तब अभियुक्त ने बच्चों को सुलाकर मकान के दोनों तरफ के दरवाजे बंद कर साक्षी के साथ मारपीट की थी एवं साक्षी को रात में घर से निकाल दिया था। साक्षी दूसरे दिन उसके मायके में उसके माता-पिता नहीं होने के कारण उसकी नानी के पास चली गई थी। साक्षी ने फोन करके उसके माता-पिता को बुलाया था और घटना के बारे में बताया था, तब साक्षी के पिता ने थाने पर फोन लगाया था एवं पुलिस थाना बैहर जाने पर पुलिसवालों ने कहा था कि साक्षी उसके पति को लेकर थाने पर आए, तब साक्षी ने पुलिस से उसके पति को अंदर करने के लिए कहा था एवं यह भी कहा था कि वह अभियुक्त के साथ नहीं रहना चाहती। अभियुक्त ने साक्षी के अतिरिक्त किसी अन्य को चाकू नहीं दिखाया था।

10— गोमतीबाई अ.सा.1, भादूलाल कागले अ.सा.3 की पुत्री है। गोमतीबाई अ.सा.2 ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे चाकू के बारे में जानकारी नहीं है कि चाकू कहां से आया था। गोमतीबाई ने पुलिसवालों के पास थाने में चाकू देखा था। गोमतीबाई को पुलिसवालों ने थाने में चाकू के बारे में बताया था। गोमतीबाई के मुख्यपरीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त के पास चाकू किस स्थान पर मिला था, इस संबंध में विरोधाभास है। जितेन्द्र मोहने अ.सा.1, भादूलाल



कांगले अ.सा.3 प्रदर्श पी-1 के जप्तीपंचनामा एवं प्रदर्श पी-2 के गिरफ्तारी पंचनामा के साक्षी हैं। जितेन्द्र मोहने अ.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-2 में यह स्वीकार किया है कि उसने जप्तशुदा चाकू थाने में ठाकुर मुंशी के पास देखा था। जबकि प्रदर्श पी-1 के जप्तीपंचनामा में अभियुक्त से जप्त चाकू का स्थान ग्राम पोंगार, चैनू मरठे के घर के सामने लिखा है। जितेन्द्र मोहने अ.सा.1 की साक्ष्य एवं प्रदर्श पी-1 के जप्तीपंचनामा में अभियुक्त से जप्त चाकू के स्थान के संबंध में विरोधाभास है। जितेन्द्र मोहने अ.सा.1 ने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि प्रदर्श पी-1 के जप्तीपंचनामा की कार्यवाही थाने में की गई थी। साक्षी ने प्रदर्श पी-1 के जप्तीपंचनामा एवं प्रदर्श पी-2 के गिरफ्तारी पंचनामा में थाने में हस्ताक्षर करना बताया है एवं साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रदर्श पी-1 का जप्तीपंचनामा उसके सामने नहीं बना था। ऐसी स्थिति में जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-1 एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-2 की कार्यवाही संदिग्ध दर्शित होती है। साक्षी ने प्रदर्श पी-1 के जप्तीपंचनामा एवं प्रदर्श पी-2 के गिरफ्तारी पंचनामा में पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे।

11— भादूलाल कांगले अ.सा.3 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में यह बताया है कि जब वह पुलिस थाने गया था, वहां पर संपूर्ण कार्यवाही पर उसने थाने पर अंगूठा लगाया था। साक्षी ने जिस कागज पर अंगूठा लगाया था, वह कोरा था। भादूलाल कांगले अ.सा.3 ने उसके साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने अभियुक्त से कोई हथियार या सामग्री जप्त नहीं की थी। ऐसी स्थिति में जप्तीकर्ता अधिकारी की जप्ती की कार्यवाही विश्वसनीय दर्शित नहीं होती है।

12— जप्तीकर्ता अधिकारी आर.के.सिंह ठाकुर अ.सा.4 ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-4 में यह स्वीकार किया है कि चाकू के मानचित्र प्रदर्श पी-5 में अपराध क्रमांक नहीं लिखा है एवं न ही उस पर उक्त साक्षी के हस्ताक्षर हैं न ही सील लगी हुई है। साक्षी ने प्रदर्श पी-5 के मानचित्र में चाकू की लंबाई-चौड़ाई का उल्लेख नहीं किया है। प्रदर्श पी-4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त से जप्त चाकू की लंबाई-चौड़ाई का उल्लेख नहीं है। जप्तीकर्ता अधिकारी ने घटनास्थल पर रवानगी-वापसी के संबंध में रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत कर प्रमाणित नहीं कराया है। स्वतंत्र साक्षीगण ने अभियुक्त से जप्त चाकू की जप्ती के संबंध में जप्तीकर्ता अधिकारी के कथनों का समर्थन नहीं किया है। जितेन्द्र मोहने अ.सा.1

एवं भादूलाल कांगले अ.सा.3 ने संपूर्ण कार्यवाही थाने पर होना बताया है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य यहां संदिग्ध हो जाता है कि जप्तीकर्ता अधिकारी घटना दिनांक को घटनास्थल पर गया था भी या नहीं। उक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए साक्ष्य की उपरोक्तानुसार की गई विवेचना एवं निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे आयुध अधिनियम की धारा-25(1-बी) बी सहपठित धारा-4 का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को आयुध अधिनियम की धारा-25(1-बी) बी सहपठित धारा-4 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13- प्रकरण में अभियुक्त दिनांक-16.10.2017 से दिनांक-10.01.2018 तक अभिरक्षा में रहा है। इस संबंध में धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

14- अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जावें।

15- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक लोहे का चाकू मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

(दिलीप सिंह)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)